रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 2019/चैत्र 4, 1941
No. 208] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 2019/CHAITRA 4, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2019

सा.का.नि. 235(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा कोचीन पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथानिर्धारित कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को संशोधन के साथ अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदित उक्त विनियम इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुन: निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. (1) इन विनियमों को कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में, अनुसूची में:—

(1) "वित्त विभाग" शीर्षक के अंतर्गत,—

(i) क्रम सं. 06, सहायक निदेशक (ईडीपी) के पद के संबंध में, कॉलम 9 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"(क) नहीं।

(ख) हां, लेकिन दिनांक 28 अक्तूबर, 2010 को नियमित आधार पर प्रोग्रामर पद के पदधारियों के मामले में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ किसी भी शाखा में डिग्री पर्याप्त होगी।

(ग) नहीं।"

(ii) क्रम सं. 7, उप निदेशक (ईडीपी) के पद के संबंध में, कॉलम 9 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"(क) नहीं।

(ख) हां, लेकिन दिनांक 28 अक्तूबर, 2010 को नियमित आधार पर सहायक निदेशक (ईडीपी) पद के पदधारियों के मामले में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ किसी भी शाखा में डिग्री पर्याप्त होगी।

(ग) नहीं।"

(iii) क्रम सं. 8, वरिष्ठ उपनिदेशक (ईडीपी) के पद के संबंध में, कॉलम 9 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"(क) नहीं।

(ख) हां, लेकिन दिनांक 28 अक्तूबर, 2010 को नियमित आधार पर उपनिदेशक (ईडीपी) पद के पदधारियों के मामले में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ किसी भी शाखा में डिग्री पर्याप्त होगी।

(ग) नहीं।"

(2) "GL. ADMN-MAIN. ESTT" शीर्षक के अंतर्गत, - क्रम सं. 17, वरिष्ठ उपनिदेशक (शोध) के पद के संबंध में, कॉलम 9 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"(क) नहीं।

(ख) हां, लेकिन दिनांक 28 अक्तूबर, 2010 को नियमित आधार पर उपनिदेशक (शोध) पद के पदधारियों के मामले में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा गणित एक विषय के रूप में लेकर डिग्री पर्याप्त होगी।

(ग) नहीं।"

[फा. सं. पी.आर.-12012/3/2018-पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 862 (अ) दिनांक 28 अक्तूबर, 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:—

(i) सा.का.नि. सं. 849 (अ) दि. 25 अक्तूबर 2014

(ii) सा.का.नि. सं. 604 (अ) दि. 31 जुलाई 2015

(iii) सा.का.नि. सं. 644 (अ) दि. 30 जून 2016

(iv) सा.का.नि. सं. 649 (अ) दि. 01 जुलाई 2016

(v) सा.का.नि. सं. 1126 (अ) दि. 09 दिसम्बर 2016

(vi) सा.का.नि. सं. 1151 (अ) दि. 16 दिसम्बर 2016

(vii) सा.का.नि. सं. 211 (अ) दि. 09 मार्च 2017

(viii) सा.का.नि. सं. 306 (अ) दि. 30 मार्च 2017

(ix) सा.का.नि. सं. 1435 (अ) दि. 20 नवम्बर 2017

(x) सा.का.नि. सं. 835 (अ) दि. 05 सितम्बर 2018

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2019

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the Cochin Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulation, 2019, made by the Board of Trustees of the Cochin Port Trust, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Cochin Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:

1. (1) These regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government, in the Gazette of India.

2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in the Schedule,-

(1) under the heading "FINANCE DEPTT",-

(i) against serial number 6, relating to the post of Asst. Director (EDP), in column 9, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" (a) No

(b) Yes, but in the case of incumbents holding the post of Programmer on regular basis as on the 28th October, 2010, degree in any discipline with postgraduate degree or diploma in Computer Applications or Computer Science or Information Technology from a recognised University or institution will suffice

(c) No";

(ii) against serial number 7, relating to the post of Deputy Director (EDP), in column 9, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(a) No

(b) Yes, but in the case of incumbents holding the post of Asst. Director (EDP) on regular basis as on the 28th October, 2010, degree in any discipline with postgraduate degree or diploma in Computer Applications or Computer Science or Information Technology from a recognised University or institution will suffice

(c) No";

(iii) against serial number 8, relating to the post of Senior Deputy Director (EDP), in column 9, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(a) No

(b) Yes, but in the case of incumbents holding the post of Deputy Director (EDP) on regular basis as on the 28th October, 2010, degree in any discipline with postgraduate degree or diploma in Computer Applications or Computer Science or Information Technology from a recognized University or institution will suffice

(c) No";

(2) under the heading "GL. ADMN-MAIN. ESTT",- against serial number 17, relating to the post of Sr. Deputy Director (Research), in column 9, for the entries, the following entries shall be substituted namely:-

"(a) No

(b) Yes, but in the case of incumbents holding the post of Deputy Director (Research) on regular basis as on the 28th October, 2010, degree with Economics or Statistics or Mathematics as one of the subjects from recognised University or Institution will suffice.

(c) No".

[F. No. PR-12012/3/2018-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

Footnote : The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, *vide* number G.S.R. 862(E), dated the 28th October, 2010 and was subsequently amended *vide* number—

(i) G.S.R. 849 (E), dated the 25th October, 2014;

(ii) G.S.R. 604(E), dated the 31st July, 2015;

(iii) G.S.R. 644(E), dated the 30th June, 2016;

(iv) G.S.R. 649(E), dated the 01st July, 2016;

(v) G.S.R. 1126(E), dated the 09th December 2016;

(vi) G.S.R. 1151(E), dated the 16th December 2016;

(vii) G.S.R. 211(E), dated the 09th March 2017;

(viii) G.S.R. 306(E), dated the 30th March 2017;

(ix) G.S.R. 1435(E), dated the 20th November, 2017; and

(x) G.S.R. 835(E), dated the 5th September 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.25 22:54:47 +05'30'